अनुस्मारक/महत्वपूर्ण

संख्या- 2/2018/933 (2)/60-3-2018-13(2)/15

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 जून, 2018

विषयः-प्रदेश के 10 जनपदों में निर्मित आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र भवनों का क्वालिटी ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-933/60-3-2018-13(2)/15, दिनांक 29 मई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों में आपकी सखी-आशा ज्योति केन्द्र के प्री-फैब्रिकेटेड निर्मित भवनों में कतिपय कमियों एवं निर्माण संबंधित शिकायतों का उल्लेख करते हुये इन निर्मित प्री-फैब्रिकेटेड भवनों का निर्दिष्ट विभाग/संस्था से क्वालिटी ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। निर्मित भवनों का क्वालिटी ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट के उपरान्त अपेक्षित रिपोर्ट्स अभी तक निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपेक्षानुसार निर्मित प्री-फैब्रिकेटेड भवनों का क्वालिटी ऑडिट तथा एनर्जी ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट्स शासन को अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
सचिव।

संख्या-933 (3)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, आई0आई0टी, रूड़की।
4. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।